

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2016 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि श्री शिवराज गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. मदन गिरी पिता सोहन गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. लादु गिरी पिता नन्द गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा एवं पदेन उपजीयक बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. बैंक ऑफ बडौदा बैंक शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्रीमति प्रेमदेवी गिरी.....वादीया स्वयं
2. श्री लादु गिरी.....प्रतिवादी संख्या 02
3. पैरोकार सरकार

दिनांक– 07.07.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम घरटा में वादी उपस्थित। आज दिनांक 07.07.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि -- वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम डाबला पटवार क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. प्रेमदेवी पत्नि शिवराज गिरी गुसाई सा0देह खातेदार (वादीया)

आ0न0	रकबा / किस्म	लगान
473	00-18 चा0तृतीय	5.40
765/2	00-08 चा0तृतीय	2.40
1633	0-11 गे0मु0नाडा	—
1638	00-02 बा0द्वितीय	0.11
1661/1	01-00 चा0तृतीय	6.00
1661/3	02-00 चा0तृतीय	12.00
2189/1	00-16 बा0द्वितीय	0.88
कुल 7	रकबा 05-15 बीघा	26.79

2. मदन गिरी पिता सोहनगिरी गुसाई सा0देह खातेदार (प्रतिवादी)

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आ०न०	रकबा/किस्म	लगान
473/1	00-18 चा०तृतीय	1.20/2.10
765/1	00-07 जा०तृतीय/ चा०तृतीय	2.10
1635/1	0-01 चा०तृतीय	0.30
1638/1	00-12 बा०द्वितीय	0.66
1661/2	01-00 चा०तृतीय	6.00
1661/4	02-00 चा०तृतीय	12.00
2189	00-16 बा०द्वितीय	0.88
कुल 7	रकबा 05-15 बीघा	25.24

3. लादु गिरी पिता नन्दगिरी गुसाई सा०देह खातेदार मु०वि०क० बी०ओ०बी० शाखा डाबला

आ०न०	रकबा/किस्म	लगान
473/2	00-18 जा०तृतीय	2.70
765/3	00-07 चा०तृतीय/ जा०तृतीय	0.60/0.75
1638/2	0-13 बा०द्वितीय	0.72
1661/5	03-00 चा०तृतीय	18.00
2189/2	00-16 बा०द्वितीय	0.88
कुल 5	रकबा 05-14 बीघा	23.65

4. शामलाती मदनगिरी पिता सोहनगिरी लादुगिरी पिता नन्दगिरी 2/3 प्रेमदेवी पत्नि शिवराज गिरी 1/3 गुसाई सा०देह खातेदार मु०वि०क० बी०ओ०बी०शाखा डाबला हि०लादुगिरी का

आ०न०	रकबा/किस्म	लगान
765	00-01 चा०तृतीय	0.30
1635	00-01 चा०तृतीय	0.30
1634	00-03 गे०मु०चाह	-
1636	00-02 गे०मु०चाह	-
1661	00-03 चा०तृतीय	0.90
कुल 5	रकबा 00-10 बीघा	1.50

उक्तानुसार भूमि वादीया व प्रतिवादी क्रम 01, 02 के मध्य क्रम संख्या 1 से 4 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01, 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 07.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कैंप मुकाम घरटा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा  
बनेडा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम घरटा तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2016 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि श्री शिवराज गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. मदन गिरी पिता सोहन गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. लादु गिरी पिता नन्द गिरी निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा एवं पदेन उपंजीयक बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. बैंक ऑफ बडौदा बैंक शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्रीमति प्रेमदेवी गिरी.....वादीया स्वयं
2. श्री लादु गिरी.....प्रतिवादी संख्या 02
3. पैरोकार सरकार

दिनांक– 07.07.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम घरटा में वादी उपस्थित। आज दिनांक 07.07.2017 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम भटेडा पटवार क्षेत्र घरटा तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी कम 01 लगायत 02 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. प्रेमदेवी पत्नि शिवराज गिरी गुसाई सा0 डाबला खातेदार (वादीया)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
50/1	01-16 बा0तृतीय	1.98
59/1	03-12 बा0तृतीय	3.96
कुल 2	रकबा 05-08 बीघा	5.94

2. मदन गिरी पिता सोहनगिरी गुसाई सा0डाबला खातेदार (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा/किस्म	लगान
50	01-17 बा0तृतीय	2.03
59	03-12 बा0तृतीय	3.96
कुल 2	रकबा 05-09 बीघा	5.99


  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

3. लादु गिरी पिता नन्दगिरी गुसाई सा० डाबला खातेदार मु०वि०क० बी०ओ०बी० शाखा डाबला


आ०न०	रकबा / किस्म	लगान
50 / 2	01-16 बा०द्वितीय	1.98
59 / 2	03-12 बा०द्वितीय	3.96
कुल 2	रकबा 05-08 बीघा	5.94

उक्तानुसार भूमि वादीया व प्रतिवादी क्रम 01, 02 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01, 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 07.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम घरटा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

  
(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेडा जिला भीलवाड़ा  
बनेडा (भीलवाड़ा)